आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 204 / 2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– दुर्गापुरा, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था / बैंक

बनाम

1. श्री जीतू कुमार शर्मा पुत्र श्री बाबू लाल,
2. श्रीमती नीतू कुमारी शर्मा पत्नी श्री जीतू कुमार शर्मा,
   पता:–12–ए, शिक्षा सागर विस्तार, गोविन्दपुरा, सांगानेर, जयपुर।
3. मैसर्स मोजिका रियल एस्टेट एण्ड डवलपर्स प्रा. लि. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता श्री गंगासहाय शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा,
   पता:– 7 वीं मंजिल, 704–706, कैलाश टॉवर, लाल कोठी स्कीम, टोंक रोड़, जयपुर।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :–

1. श्री राहुल शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 06.06.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था / बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती नीतू कुमारी शर्मा के स्वामित्त्व की संपत्ति फ्लेट नं. 527, 5th फ्लोर, मोजिका अल्टिमा, फेज प्रथम, खसरा संख्या 59 से 68, 69 / 213, 71, से 74, ग्राम चक सालिगरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 586.32 वर्गफीट को बन्धक रख कर दिनांक 11.11.2020 को राशि 24,50,000 / – रूपये, 41,500 / – रूपये, कुल राशि 24,91,580 / – रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था / बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.10.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था / बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था / बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 24,91,580 / –रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था / बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 20,22,052/– रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 31.10.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा–14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती नीतू कुमारी शर्मा के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति फ्लेट नं. 527, 5वीं फ्लोर, मोजिका अल्टिमा, फेज प्रथम, खसरा संख्या 59 से 68, 69/213, 71, से 74, ग्राम चक सालिगरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 586.32 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था/बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 06.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट जिला जयपुर (राज.)